eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

लैंगिक समानता एवं सशक्तिकरणः एक विश्लेषण

अंशु पांडेय[1], सुनैना[2]
[1]एसोसिएट प्रोफेसर राजनीति विज्ञान विभाग डी.जी.पी.जी. कॉलेज कानपुर, उत्तर प्रदेश
[2]रिसर्च स्कॉलर राजनीति विज्ञान विभाग डीजी.पी.जी. कॉलेज कानपुर

Received: 20 Jan 2026, Accepted: 25 Jan 2026, Published with Peer Reviewed on line: 31 Jan 2026

Abstract

यह शोध पत्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण की अवधारणा को समझाने का प्रयास करता है, जो वर्तमान समय में सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक विकास के मुख्य आधार हैं। लैंगिक समानता का उद्देश्य पुरुषों और महिलाओं को समान अवसर, अधिकार और गरिमा प्रदान करना है, ताकि वे समाज के विभिन्न क्षेत्रों में समान रूप से भागीदारी कर सकें। महिला सशक्तिकरण केवल आर्थिक स्वतंत्रता तक सीमित नहीं है, बल्कि इसमें निर्णय लेने की क्षमता, आत्म–सम्मान और सामाजिक न्याय की प्राप्ति भी शामिल है। भारत जैसे लोकतांत्रिक देश में संविधान ने अनुच्छेद 14, 15 और 16 के माध्यम से समानता का अधिकार सुनिश्चित किया है, जबकि पंचायती राज व्यवस्था में 33 प्रतिशत महिला आरक्षण ने स्थानीय शासन में महिलाओं की भागीदारी को बढ़ावा दिया है। इससे समाज में संरचनात्मक बदलाव की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम उठाया गया है। यह शोध पत्र लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण के ऐतिहासिक, सामाजिक, आर्थिक और विधिक पहलुओं का गहराई से विश्लेषण करता है। इसके साथ ही यह भी दर्शाता है कि कैसे शिक्षा, जागरूकता और नीति निर्माण के माध्यम से एक न्यायपूर्ण और समानतामूलक समाज की स्थापना की जा सकती है। इस प्रक्रिया से महिलाओं को सशक्त बनाने के साथ–साथ पूरे समाज में समानता का संवर्धन हो सकता है, जो समग्र सामाजिक और आर्थिक विकास की दिशा में सहायक सिद्ध होगा।

मुख्य शब्द :लैंगिक समानता, महिला सशक्तिकरण,सामाजिक न्याय, समान अवसर, शिक्षा

Introduction

मानव सभ्यता के विकास के साथ ही समाज में स्त्री और पुरुष की भूमिका निर्धारित होती गई, लेकिन अगर हम परंपरागत दृष्टिकोण से इसे देखें, तो यह स्पष्ट होता है कि स्त्रियों को लंबे समय तक समाज में द्वितीयक दर्जा प्राप्त रहा। इतिहास के विभिन्न कालखंडों में महिलाओं को समाज में अधीनस्थ माना गया और उनके अधिकारों की उपेक्षा की गई। हालांकि, जैसे–जैसे समाज विकसित हुआ, लैंगिक समानता के मुद्दे ने ध्यान आकर्षित किया और यह एक महत्वपूर्ण सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक विषय बन गया।

लैंगिक समानता किसी भी समाज के समग्र विकास, न्याय और लोकतंत्र का आधार है। इसका तात्पर्य यह है कि स्त्री और पुरुष दोनों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर, अधिकार और संसाधन मिलें। यह समानता न केवल उनके अधिकारों की बात करती है, बल्कि यह सुनिश्चित करती है कि समाज के प्रत्येक सदस्य को अपनी क्षमताओं का उपयोग करने का समान अवसर मिले, बिना किसी भेदभाव के। भारत में लैंगिक समानता का मुद्दा सदियों से सामाजिक विमर्श का विषय रहा है। भारतीय संविधान की प्रस्तावना से लेकर पंचायती राज व्यवस्था तक समानता के विचार को भारतीय लोकतंत्र के मूल सिद्धांत के रूप में

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

स्वीकार किया गया है। संविधान में प्रदत्त अधिकारों के बावजूद, व्यवहार में महिलाएं और लैंगिक अल्पसंख्यक समुदाय सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक रूप से पिछड़े हुए हैं। प्रसिद्ध अर्थशास्त्री अमर्त्य सेन ने कहा है, "विकास तभी वास्तविक है जब व्यक्ति अपनी स्वतंत्रता का प्रयोग समान रूप से कर सके।" इस दृष्टिकोण से देखा जाए तो सशक्तिकरण केवल अधिकारों की प्राप्ति नहीं है, बल्कि उन अधिकारों का सही तरीके से उपयोग करने की स्वतंत्रता भी है। अर्थात, सशक्तिकरण का मतलब सिर्फ अधिकार प्राप्त करना नहीं है, बल्कि यह भी है कि व्यक्ति को अपने अधिकारों का सदुपयोग करने का पूरा अवसर और स्वतंत्रता मिले। आज के आधुनिक युग में लैंगिक समानता और महिला सशक्तिकरण केवल एक सामाजिक आंदोलन नहीं रहे, बल्कि ये सतत विकास लक्ष्यों का भी अहम हिस्सा बन चुके हैं। विकास के इन लक्ष्यों में यह सुनिश्चित करना शामिल है कि हर व्यक्ति को समान अवसर मिलें, खासकर उन समूहों को जो अब तक हाशिए पर थे, जैसे महिलाएं और लैंगिक अल्पसंख्यक। लैंगिक समानता और सशक्तिकरण का उद्देश्य न केवल महिलाओं के लिए बेहतर अवसरों की सृष्टि करना है, बल्कि पूरे समाज को एक समान और न्यायपूर्ण दिशा में आगे बढ़ाना है।

लैंगिक समानता का अर्थः लैंगिक समानता का तात्पर्य है कि स्त्री और पुरुष दोनों को जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में समान अवसर, अधिकार और सम्मान प्राप्त हो। यह विचार करता है कि समाज में किसी भी लिंग के साथ भेदभाव नहीं होना चाहिए और दोनों को समान रूप से अपने जीवन की दिशा तय करने का अधिकार मिलना चाहिए। लैंगिक समानता का उद्देश्य एक ऐसे समाज का निर्माण करना है, जिसमें स्त्री और पुरुष, दोनों को समान अवसर और संसाधन मिलें, ताकि वे अपने सामर्थ्य और क्षमता के अनुसार समाज में अपनी भूमिका निभा सकें।

निवेदिता मैनन के अनुसार, "लैंगिक समानता का अर्थ केवल स्त्री–पुरुष समानता नहीं है, बल्कि यह समाज की उस संरचना को चुनौती देना है जो एक लिंग को दूसरे लिंग पर वरीयता देती है।" इस परिभाषा से यह स्पष्ट होता है कि लैंगिक समानता केवल स्त्री और पुरुष के बीच भेदभाव को समाप्त करने की बात नहीं करती, बल्कि यह उस सामाजिक ढांचे को भी चुनौती देती है, जो पुरुषों को महिलाओं पर वरीयता देता है। इसका उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि समाज में सभी लिंगों को समान सम्मान और अवसर मिले, ताकि किसी भी लिंग को अनुचित भेदभाव का सामना न करना पड़े।

सशक्तिकरण का अर्थः सशक्तिकरण का तात्पर्य है किसी व्यक्ति या समूह को अपने जीवन से जुड़े निर्णय लेने की शक्ति और स्वतंत्रता प्रदान करना। इसका मतलब केवल बाहरी संसाधनों या अधिकारों का वितरण नहीं है, बल्कि यह भी है कि व्यक्तियों या समूहों को अपने अधिकारों और संसाधनों का उपयोग करने की क्षमता और स्वतंत्रता दी जाए। सशक्तिकरण के द्वारा व्यक्ति या समुदाय अपनी सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक स्थिति में बदलाव लाने की दिशा में सक्रिय रूप से भाग ले सकता है। यह व्यक्तिगत और सामूहिक स्तर पर निर्णय लेने की क्षमता को बढ़ाता है, जिससे लोग अपने जीवन को बेहतर बनाने के लिए सक्षम होते हैं।

भारत में लैंगिक असमानता का ऐतिहासिक परिप्रेक्ष्यः भारत में लैंगिक असमानता का इतिहास बहुत पुराना और जटिल रहा है। यह असमानता सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक और राजनीतिक संरचना में गहराई से निहित रही है। भारत एक पितृसत्तात्मक समाज रहा है, जहां लैंगिक भूमिकाएँ परंपराओं और मान्यताओं पर आधारित थीं। प्राचीन भारत में, विशेष रूप से वैदिक काल में, महिलाओं की स्थिति अपेक्षाकृत सम्मानजनक थी। उन्हें शिक्षा प्राप्त करने, वेदों का अध्ययन करने, और धार्मिक अनुष्ठानों में भाग लेने की स्वतंत्रता थी।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

गार्गी और मैत्रेयी जैसी विदुषी महिलाओं ने वेदों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। विवाह भी उस समय एक समानता आधारित संस्था मानी जाती थी, जिसमें पुरुष और महिला दोनों को समान अधिकार प्राप्त थे।

लेकिन जैसे–जैसे समय बीतता गया, उत्तर वैदिक काल में पितृसत्तात्मक व्यवस्था का प्रभाव बढ़ने लगा, जिससे स्त्रियों की स्वतंत्रता और अधिकारों में कमी आने लगी। मौर्य काल में महिलाओं की स्थिति में गिरावट आई और समाज में उनके लिए विशेष सीमाएँ बनाई गईं। मनुस्मृति जैसे ग्रंथों में महिलाओं के अधिकारों पर कई प्रतिबंध लगाए गए, जैसे उन्हें शिक्षा से वंचित रखना, संपत्ति के अधिकारों से दूर रखना और पुरुषों के अधीन रखना। गुप्त काल में भी यह स्थिति बनी रही, हालांकि कला, साहित्य और संस्कृति में महिलाओं का योगदान रहा, लेकिन सामान्य महिलाओं को सामाजिक बंधनों में जकड़ा गया।

मध्यकाल में भारत में महिलाओं की स्थिति और भी दयनीय हो गई। मुस्लिम शासन के दौरान पर्दा प्रथा, बाल विवाह, सती प्रथा और बहु विवाह जैसी कुरीतियाँ समाज में प्रचलित हो गईं। इस समय में महिलाओं को घर की चार दीवारी में कैद कर दिया गया, जिससे उनका सामाजिक और शैक्षिक भागीदारी लगभग समाप्त हो गई। हालांकि कुछ अपवाद स्वरूप रजिया सुल्तान और मीराबाई जैसी महिलाओं ने इस काल में असाधारण योगदान दिया, लेकिन व्यापक स्तर पर महिलाएं शोषण का शिकार होती रहीं।

ब्रिटिश काल में सुधार आंदोलनों ने महिलाओं की स्थिति में सुधार की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए। राजाराम मोहन राय द्वारा सती प्रथा का उन्मूलन (1829) और ईश्वरचंद्र विद्यासागर द्वारा विधवा पुनर्विवाह आंदोलन (1856) ने महिलाओं के अधिकारों को फिर से जगाने का कार्य किया। स्वतंत्रता संग्राम के दौरान महिलाओं ने राष्ट्र निर्माण में भाग लिया, जिससे उनके दृष्टिकोण में परिवर्तन आया।

स्वतंत्र भारत में समानता के संवैधानिक प्रावधानः स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान ने महिलाओं को समानता का अधिकार सुनिश्चित किया। अनुच्छेद 14 के तहत समानता का अधिकार प्रदान किया गया, अनुच्छेद 15 के माध्यम से लिंग आधारित भेदभाव का निषेध किया गया और अनुच्छेद 16 के द्वारा रोजगार में समान अवसर दिए गए। अनुच्छेद 39(।) में समान कार्य के लिए समान वेतन का प्रावधान किया गया। इसके अलावा, 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33ः आरक्षण प्रदान कर राजनीतिक सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया।

समकालीन समय में स्थितिः भारतीय इतिहास का अध्ययन यह दर्शाता है कि महिलाओं की स्थिति स्थिर नहीं रही है, बल्कि समय के साथ उतार–चढ़ाव आते रहे हैं। वैदिक काल में जो समानता का भाव था, वह मध्यकाल में खो गया, लेकिन औपनिवेशिक काल में इसे पुनः जागरूक किया गया। आधुनिक भारत में महिलाओं की शिक्षा, रोजगार और नेतृत्व में भागीदारी बढ़ी है, लेकिन फिर भी कई क्षेत्रों में असमानताएं बनी हुई हैं। उदाहरण के लिए, महिलाओं की श्रम शक्ति में भागीदारी मात्र 25ः है, और निर्णय निर्माण जैसे पदों पर उनकी संख्या सीमित है। इसके अलावा, घरेलू हिंसा और यौन उत्पीड़न जैसी समस्याएं आज भी प्रचलित हैं। आज आवश्यकता है कि समानता को केवल संवैधानिक अधिकार के रूप में न मानकर, इसे जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में व्यवहारिक रूप से लागू किया जाए, ताकि एक न्यायपूर्ण और समान समाज की स्थापना हो सके।

महिला सशक्तिकरण के प्रमुख स्वरूपः महिला सशक्तिकरण एक बहु–आयामी प्रक्रिया है जो सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक, शैक्षिक और कानूनी स्तरों पर फैली हुई है। यह प्रक्रिया महिलाओं को समाज के विभिन्न पहलुओं में सशक्त बनाने का कार्य करती है, ताकि वे अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में स्वतंत्र रूप से निर्णय ले सकें और समान अधिकारों का उपयोग कर सकें।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

1. **सामाजिक सशक्तिकरणः** सामाजिक सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को सम्मान, सुरक्षा और स्वतंत्रता प्रदान करना। यह प्रक्रिया महिलाओं को जाति, धर्म या लिंग के भेदभाव से मुक्त करने की दिशा में कार्य करती है। यह परंपरागत रूढ़ियों, जैसे पर्दा प्रथा, दहेज प्रथा, और बाल विवाह जैसी कुरीतियों को समाप्त करने के लिए प्रयास करती है। सामाजिक सशक्तिकरण के अंतर्गत, स्वयं सहायता समूह (मसि भ्मसच ळतवनचे) और महिला संगठनों द्वारा महिलाओं में आत्मबल का विकास किया जाता है, ताकि वे अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति जागरूक हो सकें और समाज में समानता की दिशा में योगदान दे सकें।

2. **आर्थिक सशक्तिकरणः** महिला का आर्थिक सशक्तिकरण किसी भी समाज और राष्ट्र की समग्र प्रगति के लिए महत्वपूर्ण है। जब महिलाएं आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सक्षम होती हैं, तो वे न केवल अपने परिवार की भलाई में योगदान देती हैं, बल्कि समाज और राष्ट्र के विकास में भी समान रूप से योगदान करती हैं। आर्थिक सशक्तिकरण का तात्पर्य है महिलाओं को शिक्षा, संसाधन, रोजगार, संपत्ति और निर्णय लेने के समान अवसर प्रदान करना। इससे महिलाएं अपनी आर्थिक स्थिति सुधार सकती हैं और स्वतंत्र रूप से निर्णय लेने की क्षमता प्राप्त कर सकती हैं। 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', प्रधानमंत्री मुद्रा योजना, स्टैंड अप इंडिया योजना और महिला ई–हाट जैसी योजनाएं महिलाओं को उद्यमिता और रोजगार के अवसर प्रदान करती हैं, जिससे उनका आर्थिक सशक्तिकरण सुनिश्चित होता है।

3. **राजनीतिक सशक्तिकरणः** राजनीतिक सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को निर्णय निर्माण की प्रक्रिया में सक्रिय रूप से शामिल करना। भारत में 73वें और 74वें संविधान संशोधन के तहत पंचायती राज संस्थाओं में महिलाओं को 33ः आरक्षण प्रदान किया गया है, जिससे स्थानीय शासन में महिलाओं की भूमिका को सशक्त किया गया है। उदाहरण के तौर पर, राजस्थान और बिहार जैसे राज्यों में महिला सरपंचों ने प्रशासनिक नेतृत्व का उत्कृष्ट उदाहरण प्रस्तुत किया है। हाल ही में पारित 'नारी शक्ति वंदन' अधिनियम ने महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी को और अधिक सशक्त किया है।

4. **शैक्षिक सशक्तिकरणः** शिक्षा महिलाओं के सशक्तिकरण का सबसे प्रभावी साधन है। शिक्षा के माध्यम से महिलाएं न केवल आत्मनिर्भर बनती हैं, बल्कि वे सामाजिक कुरीतियों के खिलाफ आवाज उठाने में भी सक्षम होती हैं। भारत सरकार की 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना और राष्ट्रीय बालिका शिक्षा योजना जैसे कार्यक्रमों ने महिलाओं को शिक्षा के अवसर प्रदान करने में महत्वपूर्ण योगदान दिया है। शिक्षा महिलाओं को जागरूक करती है और उन्हें सशक्त बनाती है, ताकि वे समाज में समानता की दिशा में योगदान दे सकें।

5. **कानूनी सशक्तिकरणः** कानूनी सशक्तिकरण का मतलब है महिलाओं को समान अधिकार और सुरक्षा प्रदान करने के लिए कानूनों का सही तरीके से पालन। भारतीय संविधान के अनुच्छेद 14 से 16 तक महिलाओं को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। घरेलू हिंसा अधिनियम (2005), दहेज निरोधक अधिनियम (1961) और यौन उत्पीड़न अधिनियम (2013) जैसे कानूनों ने महिलाओं की सुरक्षा और गरिमा सुनिश्चित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। ये कानून महिलाओं को उनके अधिकारों की रक्षा करने और समानता की दिशा में एक सशक्त कदम बढ़ाने का अवसर प्रदान करते हैं।

भारत सरकार की लैंगिक समानता और सशक्तिकरण की योजनाएं और नीतियांः– भारत सरकार ने लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए कई योजनाएं प्रारंभ की हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को समान अधिकार और अवसर प्रदान करना है।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ' योजना (2015): यह योजना कन्या भ्रूण हत्या को रोकने और महिलाओं की शिक्षा का स्तर बढ़ाने के उद्देश्य से शुरू की गई।

महिला शक्ति केंद्र योजना (2017): इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को स्व–रोजगार हेतु वित्तीय सहायता प्रदान करना है।

प्रधानमंत्री मुद्रा योजना (2015): यह योजना विशेष रूप से ग्रामीण महिलाओं को आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए शुरू की गई है।

उज्ज्वला योजना: इस योजना का उद्देश्य महिलाओं के पुनर्वास और स्वच्छ ईंधन प्रदान करना है।

स्टैंड अप इंडिया योजना (2016): यह योजना महिलाओं को उद्यमिता के लिए प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से बनाई गई है, जिससे वे स्वावलंबी बन सकें।

इन योजनाओं और नीतियों ने महिलाओं को सामाजिक और आर्थिक स्वतंत्रता के अवसर प्रदान किए हैं और उनके सशक्तिकरण की दिशा में महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं।

लैंगिक असमानता के प्रमुख कारण: लैंगिक असमानता समाज में पुरुषों और महिलाओं के बीच अधिकार, अवसर और संसाधनों के समान वितरण की कमी को दर्शाती है। इसके प्रमुख कारण इस प्रकार हैं:

1. पितृसत्तात्मक सामाजिक संरचना: भारतीय समाज पारंपरिक रूप से पितृसत्तात्मक रहा है, जहां पुरुषों को परिवार का मुखिया और निर्णयकर्ता माना जाता है, जबकि महिलाओं को द्वितीयक भूमिका में रखा जाता है। इस व्यवस्था ने महिलाओं के अधिकारों को सीमित किया है।

2. शिक्षा और संसाधनों की कमी: लंबे समय तक महिलाओं को शिक्षा और संसाधनों के अवसर नहीं दिए गए, जिससे उनकी साक्षरता दर पुरुषों से कम रही और वे सामाजिक और आर्थिक रूप से पिछड़ गईं।

3. आर्थिक निर्भरता: महिलाएं आमतौर पर घरेलू कार्यों में लगी रहती हैं, जो अवैतनिक श्रम माना जाता है। आर्थिक स्वतंत्रता की कमी के कारण, वे निर्णय निर्माण में सक्रिय रूप से भाग नहीं ले पातीं।

4. सांस्कृतिक और धार्मिक परंपराएं: कई सांस्कृतिक और धार्मिक प्रथाएं महिलाओं को सीमित भूमिकाओं में बांध देती हैं, जैसे कन्या भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा, और बाल विवाह। ये परंपराएं महिलाओं की स्वतंत्रता को बाधित करती हैं।

5. रोजगार के अवसरों में भेदभाव: कार्यस्थलों पर महिलाओं को समान काम के लिए समान वेतन नहीं मिलता और उच्च पदों पर उनकी नियुक्ति की संभावना भी कम रहती है। अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन की रिपोर्ट 2021 के अनुसार, भारत में महिलाओं की कार्यबल में भागीदारी केवल 24: है, जो वैश्विक औसत से काफी कम है।

6. महिलाओं की सीमित राजनीतिक भागीदारी: महिलाओं को संविधान के तहत समान मताधिकार प्राप्त है, लेकिन राजनीतिक संस्थाओं में उनकी भागीदारी अभी भी कम है। पंचायती राज अधिनियम 1992 के तहत 33: आरक्षण मिलने के बावजूद, उनकी भागीदारी केवल प्रतीकात्मक है।

लैंगिक समानता और सतत विकास लक्ष्य (SDG): संयुक्त राष्ट्र के SDG–5 (जेंडर इक्वलिटी) का मुख्य उद्देश्य महिलाओं की समानता और सशक्तिकरण को बढ़ावा देना है। भारत ने इस दिशा में कुछ प्रगति की है, लेकिन लैंगिक वेतन अंतर (जेंडर पे गैप) और हिंसा की घटनाएं अभी भी चिंताजनक हैं।

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

लैंगिक समानता और सशक्तिकरण के लिए सुझावः भारतीय संविधान द्वारा समानता के अधिकार की गारंटी दी गई है, लेकिन व्यवहार में असमानता बनी हुई है। इसलिए समानता और सशक्तिकरण के लिए ठोस उपाय आवश्यक हैं:

1. शिक्षा के क्षेत्र में सुधारः

कन्या शिक्षा को प्रोत्साहन दें, ताकि हर बालिका को निशुल्क और गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा मिल सके।

लैंगिक संवेदनशील पाठ्यक्रम तैयार करें, जो स्कूलों और कॉलेजों में समानता और सम्मान की भावना को विकसित करें।

2. आर्थिक सशक्तिकरण के उपायः

महिलाओं को स्वरोजगार, स्टार्टअप और सूक्ष्म उद्धम प्रशिक्षण उपलब्ध कराएं।

समान वेतन नीति का पालन करें, ताकि समान काम के लिए पुरुषों और महिलाओं को समान वेतन मिले।

महिला स्वयं सहायता समूहों के माध्यम से ग्रामीण महिलाओं को वित्तीय स्वतंत्रता के लिए प्रोत्साहित करें।

3. राजनीतिक सशक्तिकरणः

पंचायतों और विधानसभाओं में महिलाओं की सक्रियता बढ़ाएं और महिलाओं के लिए नेतृत्व प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित करें।

महिलाओं के लिए आरक्षण को लागू करें और उनके लिए नीति निर्माण प्रक्रिया में अवसर प्रदान करें।

4. सामाजिक और सांस्कृतिक सुधारः

पितृसत्तात्मक सोच को बदलने के लिए जन जागरूकता अभियान चलाएं।

स्कूलों, कॉलेजों और पंचायत स्तर पर कार्यशालाओं का आयोजन करें।

5. कानूनी एवं नीतिगत सुधारः

यौन उत्पीड़न कानूनों का कड़ाई से पालन करें और महिलाओं के खिलाफ हिंसा पर कड़ी कार्रवाई करें।

घरेलू हिंसा अधिनियम (2005) की निगरानी सुनिश्चित करें ताकि पीड़ित महिलाओं को तत्काल न्याय और सहायता मिल सके।

निष्कर्षः– लैंगिक समानता और सशक्तिकरण किसी भी समाज के समग्र और सतत विकास के लिए अत्यंत आवश्यक हैं। जब समाज में स्त्री और पुरुषों को समान अधिकार, अवसर और सम्मान प्राप्त होता है, तभी वास्तविक लोकतंत्र और सामाजिक न्याय की स्थापना संभव हो पाती है। लैंगिक समानता केवल महिलाओं के उत्थान तक सीमित नहीं है, बल्कि यह पूरे समाज की प्रगति का प्रतीक है। जब महिलाओं को आर्थिक, सामाजिक, शैक्षिक और राजनीतिक सशक्तिकरण मिलता है, तो वे न केवल अपने जीवन में आत्मनिर्भर बनती हैं, बल्कि निर्णय लेने की प्रक्रिया में भी सक्रिय रूप से भाग लेती हैं। इससे समाज में समानता और न्याय की भावना को बल मिलता है। आज भारत सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएं जैसे 'बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ', महिला सशक्तिकरण मिशन, और स्वयं सहायता समूह जैसी पहलें चलायी जा रही हैं, जिनका मुख्य उद्देश्य महिलाओं की स्थिति को सुदृढ़ करना है। इन योजनाओं के माध्यम से महिलाओं को शिक्षा, स्वास्थ्य, आर्थिक स्वतंत्रता और सामाजिक अधिकारों के लिए प्रोत्साहित किया जा रहा है। हालांकि, इन प्रयासों के बावजूद भी समाज में सामाजिक रूढ़िवादिता, लैंगिक भेदभाव और असमान अवसर जैसी चुनौतियां आज भी विद्यमान हैं। इसलिए यह आवश्यक है कि समाज के प्रत्येक स्तर पर जागरूकता बढ़ाई जाए और

eISSN 2581-8996
ONLINE
INTERNATIONAL JOURNAL OF ADVANCED RESEARCH IN MULTIDISCIPLINARY SCIENCES (IJARMS)
A BI-ANNUAL, OPEN ACCESS, PEER REVIEWED (REFEREED) JOURNAL
Volume 09, Issue 01, January 2026

समानता की भावना को व्यवहार में लाया जाए। यह जागरूकता न केवल सरकारी योजनाओं और कानूनों के प्रति समर्पण को बढ़ावा देगी, बल्कि समाज में महिलाओं के अधिकारों और स्वतंत्रता के प्रति सकारात्मक दृष्टिकोण भी उत्पन्न करेगी।

अंततः लैंगिक समानता और सशक्तिकरण केवल महिलाओं के अधिकार का प्रश्न नहीं है, बल्कि यह एक न्यायपूर्ण, समावेशी और समृद्ध समाज की आधारशिला है। जब समाज के प्रत्येक सदस्य को समान अवसर और अधिकार मिलेंगे, तो ही हम सच्चे अर्थों में विकास और प्रगति की दिशा में कदम बढ़ा सकेंगे। यह सुनिश्चित करेगा कि हर व्यक्ति अपने पूरे क्षमता के साथ समाज में योगदान दे सके और समाज का प्रत्येक हिस्सा समृद्ध हो।

संदर्भ ग्रंथ सूची–

1. संयुक्त राष्ट्र, ससतत विकास रिपोर्ट, 2023
2. मेनन, निवेदिता. जेंडर एंड पॉलिटिक्स इन इंडिया, ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी, प्रेस, न्यू दिल्ली ,2001, पृष्ठ पृष्ठ . 45–52
3. शर्मा, आर. भारतीय समाज में स्त्री की भूमिका, राजकमल प्रकाशन, 2018
4. देशपांडे, एस, भारतीय सुधार आंदोलन, बाणी प्रकाशन, 2020
5. नीति आयोग, भारत/2047 विजन, 2023
6. शर्मा. एस. महिला सशक्तिकरण और सामाजिक परिवर्तन, नई दिल्ली, राजकमल प्रकाशन, 2018
7. पांडे, आर. के, महिला सशक्तिकरण के सामाजिक आयाम, वाराणसी, गंगा पब्लिकेशन, 2019, पृष्ठ . 47
8. शर्मा, मीना, भारतीय समाज और स्त्री सशक्तिकरण, नई दिल्ली, रावत पब्लिकेशन, 2018
9. कौशिक, नीलम, भारतीय संस्कृति और महिला की स्थिति, जयपुर, भारतीय अध्ययन प्रकाशन, 2016
10. ILO, जेंडर इक्वलिटी रिपोर्ट, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन,2021
11. नीति आयोग, डिजिटल इंडिया फॉर वूमेन इनीशिएटिव, 2020,पृष्ठ पृष्ठ 19
12. यूएनडीपी इंडिया, डिजिटल इंक्लूजन एंड जेंडर एंपावरमेंट, 2021,पृष्ठ .25.